

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

लाइराम बनाम प्रतापराज खोखर


किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 65 / सन् 2021

कोष नम्बर	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
--------------	------------------------------------	--

वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा
 88, 92A RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80
 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र
 प्रतिवादीगण संख्या के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की
 जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये
 सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक ..18/8/21 को पेश हो।

316
6/9/21


 सहायक कलक्टर एवं
 पदेन उपखण्ड अधिकारी,
 जैतारण (पाली)

307
 वकील वादी द्वारा पत्रावली तलब कर विज्ञापन
 करके का प्रकाश पेश करते हैं पत्रावली
 आज पेश हुई।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र किया कि वादी
 का वाद जारी विज्ञापन करते हुए नया वाद
 सं. नं. 12, 13 के साथ सं. नं. 3, 5, 6 भी शुरू
 किये हुए नया वाद पेश करते का अधिकार
 सुरक्षित रखते हुए नया वाद पेश करते ही
 अटुनरी देने का यह वाद जारी विज्ञापन
 कराने। प्रार्थना पत्र किया।

इसके पत्रावली में दाखिलाने का न्यायोक्त
 किया। का उपपुस्तक विज्ञापन के आलोचन के वाद
 वादी का नया वाद पेश करते का अधिकार
 सुरक्षित रखते हुए जारी विज्ञापन रजिस्ट्रार
 किया जाय है। पत्रावली केपल चुकाने के
 न्यायोक्त कि कर है। वाद वकील जाय दाखिल
 पत्रावली लोखन। अखर कर है।

